21/05/25

दिनांक 25/4/25

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

25/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली का अवलोवान किया गया। बहस पत्रावली उभयपक्ष पर मनन किया गया। प्रकरण में उपस्थित पक्षकारान को सुनने व प्रस्तुत समस्त बिंदुओं पर मनन करने उपरांत यह कि वादीगण श्री खींवाराम पुत्र दौलाराम व जगदीशप्रसाद पुत्र कानाराम के हक व हिस्से अनुसार प्रस्ताव नक्शा मय प्राप्त हो चुके हैं जिस पर अपीलांट/उपस्थित पक्षकारान द्वारा कोई आपति मौखिक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म

या आपत्ति प्रार्थना पत्र के जरिये प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा अपने बहस में यह कथन कहा गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर से रिपोर्ट मंगवायी जावे। इस बिंदु पर यह कि प्रकरण अंतर्गत धारा 53 आरटीए बाबत संयुक्त खाते की भूमि प्रस्तुत हुआ है, जिस पर अलग से तहसीलदार (राजस्व) से रिपोर्ट ली जानी आवश्यक नहीं है तथा खाता विभाजन प्रस्ताव के हमराह रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसमें कि ग्राम हिम्मतासर के खसरा नंबर 61 तादादी 7.12 हैक्टयर भूमि पर वादीगण प्रत्येक के 1/16 – 1/16 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। प्रकरण में अन्य पक्षकारों के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है तथा उपस्थित पक्षकारान को सुना जा चुका है। जिस आधार पर प्रकरण में अंतिम डिक्री दी जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम हिम्मतासर के खसरा नंबर 61 तादादी 7.12 हैक्टयर भूमि पर वादीगण प्रत्येक के 1/16 – 1/16 हिस्सा अनुसार खाता विभाजन प्रस्तावित अनशानुसार खाता विभाजन की अंतिम डिग्री दी जानी मंजूर की जाती है। चूंकि उक्त प्रकरण खींयाराम वगै. बनाम अशोक वगै. में वाद

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण का खाता अलग कायम किए जाने के आदेश बाबत अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है। जिस आधार पर उक्त पत्रावली को अन्य पत्रावलियो से पृथक किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाती है व निर्णय की प्रति अन्य दोनों प्रकरणों में संलग्न की जावे।

इस प्रकरण के साथ संयोजित अन्य दोनों प्रकरण मुकदमा नंबर 2023/15। जानी देवी वगै. बनाम सांवली वगैरह तथा वाद संख्या 2023/177 अनवाक्स जगदीश बनाम सांवली वगैरह को संयोजित रखा जाता है तथा उक्त दोनों वाद की कार्यवाही वादपत्र जानी देवी वगै बनाम सांवली वगै. में अग्रसर किये जाने के आदेश किये जाते हैं। उपस्थित पक्षकारान द्वारा भी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन चाहा गया है। जिस आधार पर पक्षकारान प्रतिवादी संख्या 10 जानीदेवी व प्रतिवादी संख्या 6 जगदीश पुत्र लूणाराम का हिस्से अनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने न्यायोचित्त है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी होकर तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार लगान कायम किया जाकर वादीगण के अंतिम डिक्री व प्रस्तावित अक्शानुसार अलग खाता कायम कर पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन किया जावे तथा वादीगण के अलग खाता कायम किए जाने

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की तामील में जा... |
|---|---|---|
| | उपरांत उक्त अराजी में शेष भूमि में से प्रतिवादी संख्या 6 व 10 के हिस्से अनुसार मौके पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार कर, विभाजन प्रस्ताव व नक्शा की दो-दो प्रतियों में प्रेषित करें। उक्त विषयक भूमि पर पूर्व प्रसारित स्थगन आदेश इस आदेश पर निष्प्रभावी रहेगा।<br>पत्रावली वाद संख्या 2023/218 अनवान खीयाराम बनाम अशोक वगै० फैसल शुमार होकर बाद तरकीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो। | |